Foodstuffs, medicines, medical stores, clothing, blankets, when imported for charitable purposes are exempt from Customs duty subject to certain conditions. Copy of the relevant exemption notification No. 142 dated 16-7-77 is given in Statement 'E' laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2323/78].

Articles such as foodstuffs, medicines, consumable medical stores, clothing and blankets when imported by voluntary charitable organisations for relief among the cyclone affected people of Tamil Nadu and Andhra Pradesh have been exempted from payment of Customs duty—vide notification No. 252 dt. 1st December, 1977, a copy of which is at Statement 'F', laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2323/78].

Medical, surgical and diagnostic equipment, apparatus and appliances of certain descriptions when essentially required for use in hospitals have been, subject to certain conditions, exempted from payment of duty under notification No. 8 dated 6th January, 1978, a copy of which is at Statement 'G', laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2323/78].

In addition, articles of special utility for the handicapped and disabled individuals, when imported by them in order to overcome their handicap or disability, re exempted from payment of duty by issue of *ad hoc* orders whenever a request to this effect supported by requisite medical certificates, is received.

Suggestions and comments from foreign tourists

10322. PROF. P. G. MAVALANKAR: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether Government conduct regular periodic surveys/researches to find out tourist needs and requirements all over the country and thereby help promote the tourist traffic particiularly from foreign lands;

(b) if so, broad details thereof;

(c) whether suggestions, comments criticisms are received by the Government from such foreign tourists; and

(d) if so, how are they processed and attended to?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). Yes, Sir. The Department of Tourism periodically conducts Foreign Tourists Surveys for eliciting information, among other things, on the expenditure and reaction pattern of tourists to assess the amounts spent by tourists on accommodation, transport, shopping, etc, and to assess their requirements of tourist facilities. The last such survey was conducted during 1976-77.

(c) and (d). Yes, Sir. All complaints received from foreign tourists in the Department of Tourism are forwarded to the authorities concerned for investigation and report. The matter is pursued until the complaints are disposed of. The suggestions are implemented wherever possible or forwarded to the appropriate authority for necessary action.

अरण्डी, अलसी, खाद्य तेलों तथा चांदी आदि में वायदा बाजार

10323. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई आयल सीड्स एण्ड आयल्स एक्सचेंज लिमिटेड बम्बई तथा आयल सीड्स ब्रोकर्स, जाबर्स सर्वेंट्स एण्ड स्टाफ यूनियन, बम्बई ने अरण्डी, अलसी, खाद्य तेलों तथा चांदी आदि में वायदा व्यापार की अनुमति देने के लिए सरकार को जनवरी, 1978 में अभ्यावेदन दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें किस प्रकार की मांगों का उल्लेख था तथा उनमें से कितनी मांग कब स्वीकार की गई एवं कितनी रद्द की गई तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) इन मांगों के अनुरूप वायदा व्यापार के लिये कब अनुमति प्रदान की जायेगी; और

(घ) क्या संसद् सदस्यों ने भी सरकार से इन वस्तुओं में वायदा व्यापार की अनुमति देने की सिफारिश की है तथा यदि हां तो उक्त संसद् सदस्यों की संख्या कितनी है और उन्होंने उक्त सिफारिश कब की और सरकार ने इस बारे में कब क्या कारवाई की अथवा करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (घ). वायदा व्यापार में लगे कई संगठनों तथा दूसरों, जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, से अभिवेदन प्राप्त हुये हैं, जिनमें विशिष्ट रूप से अरण्डी तथा अलसी के भावी सौदा व्यापार पर से प्रतिबन्ध हटाने का अनुरोध किया गया है। कुछ अभिवेदन चांदी तथा सामान्यत: खाद्य तेलों के भावी सौदा व्यापार पर से भी प्रतिबन्ध हटाने के लिए भी प्राप्त हुये हैं।

इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

पांडिचेरी, मैसूर और गोरखपुर में युवा होटलों, पर्यटन बंगलों और सेवाग्रामों का निर्माण

10324. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 में पांडिचेरी, मैसूर और गोरखपुर में दो युवा होस्टलों, दो पर्यटन बंगलों और एक सेवाग्राम का निर्माण आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उनका निर्माण पूरा हो गया है और यदि नहीं तो इनके कब तक पूरे होने की सम्भावना है तथा उन पर कितना अतिरिक्त खर्च किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). मैसूर तथा पांडिचेरी में युवा होस्टलों के निर्माण के लिए 1976-77 में क्रमश: केवल 5,88,000.00 रुपए तथा 6,54,400.00 रुपए की राशियों के व्यय को मंजूरियां जारी की गयी थी।

(ग) इन युवा होस्टलों के निर्माण कार्य के 1978-79 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है। राज्य सरकारों से इनके निर्माण पर अतिरिक्त व्यय के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

बकाया आयकर की वसूली

10325. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :
श्री अमर सिंह वी० राठवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी बहुत सी फर्में, कम्पनियां और व्यक्ति हैं जो एक लाख रुपए से अधिक का आयकर देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी अनेक फर्में, कम्पनियां, और व्यक्ति हैं जिन्हें एक लाख रुपए से अधिक का बकाया आयकर अदा करना है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी ओर बकाया राशि कब से है और उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्लाह) : (क) और (ख). जो फर्में, कम्पनियां और व्यक्ति एक लाख रुपए से अधिक का आयकर अदा कर रहे हैं, उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु, एक लाख अथवा उससे अधिक आय वाले कर-दाताओं के मामलों में किये गये कर-निर्धारणों के बारे में सूचना उपलब्ध है। 1977-78 में निपटान के लिए ऐसे 51,651 कर-निर्धारणों में से, 28-2-1978 तक 32986 कर-निर्धारणों का निपटान कर लिया गया है। आयकर आयुक्त-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ). उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-77 को ऐसे 6,249 करदाता थे, जिनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सकल आयकर की एक लाख रुपए से अधिक की मांग बकाया थी। उनके नामों और अन्य ब्यौरों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। और इस प्रकार की सूचना एकत्र करने म पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। लेकिन यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले अथवा मामलों के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं, तो उसे एकत्रित करके प्रस्तुत किया जा सकता है।